न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 483/2016

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. अम्बुजा सीमेन्टस् लि0 यूनिट राबड़ियावास, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज0 जरिये संयुक्त अध्यक्ष पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर श्री राजेश सी. कोठारी पुत्र श्री चम्पालाल कोठारी, आयु 60 वर्ष हाल-निवासी-अम्बुजा सीमेन्ट टाउनशिप, राबड़ियावास, तहसील-जैतारण,जिला-पाली

1. मंगला पुत्र अणदा जाति-राईका, निवासी-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण,जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.25/07/2016**

उपस्थितः. 1 श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 12/07/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अम्बुजा सीमेन्टस् लि0 यूनिट-राबड़ियावास का एक सीमेन्ट उद्योग अम्बुजा सीमेन्टस् लि0, यूनिट-राबड़ियावास के नाम से सरहद मौजा-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण में स्थापित हैं, कार्यरत हैं व उत्पादनरत हैं। उक्त अम्बुजा सीमेन्टस् लि0 यूनिट-राबड़ियावास कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रुप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर संयुक्त अध्यक्ष श्री राजेश सी. कोठारी नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी के द्वारा उद्योग प्रयोजनार्थ रेल्वे प्रोजेक्ट के लिए खरीद की गई भूमि के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद पत्र के साथ पेश की हैं। जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार हल्का-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 742/4 रकबा 11-13 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके हैं। जिसमें वादी कम्पनी सम्पूर्ण भूमि पर पर्सनल रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादीगण से उक्त भूमि खरीद की थी, जिस पर वादी कम्पनी सम्पूर्ण भूमि पर खरीद से आज तक कब्जा काश्त करता आ रहा हैं। जिसमें वादी कम्पनी द्वारा रीको को अपने खरीद भूमि में से अलग तरमीम सुदा भूमि 742/5 रकबा 5-00 बीघा रीको के नाम अवाप्ति होने से वादी कम्पनी की भूमि खसरा नम्बर 742/4 रकबा 11-13 बीघा किस्म बारानी दोयम में से वर्तमान में खसरा नम्बर 742/4 रकबा 5-12 बीघा व खसरा नम्बर 742/6 रकबा 1-01 बीघा कुल किता-2 कुल रकबा 6-13 किस्म बारानी दोयम शेष हैं। जिस पर वादी कम्पनी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी कम्पनी की भूमि में से प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं हैं। फिर भी प्रतिवादीगण स्थानीय निवासी होने से वादी कम्पनी की भूमि में दखलन्दाजी करने की धमकी देते हैं व बेदखल करने को आमादा हैं। विवादित आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2069 से 2072 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार हल्का-राबड़ियावास,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 742/4 रकबा 5–12 बीघा व खसरा नम्बर 742/6 रकबा 1–01 बीघा कुल किता–2 कुल रकबा 6–13 किस्म बारानी दोयम वाके हैं। जिसमें वादी कम्पनी सम्पूर्ण भूमि पर पर्सनल रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादीगण उक्त भूमि के पड़ौस के आस–पास के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी एक कम्पनी का प्रशानिक अधिकारी हैं। हमेशा कार्य में व्यस्त रहता हैं। प्रतिवादीगण स्थानीय निवासी हैं। कम्पनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को परेशान करते रहते हैं एवं वादी कम्पनी की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने मौके से बेदखल करने की धमकी देते रहते हैं व मौके पर वादी कम्पनी की भूमि पर कब्जा करने को आमादा हैं। आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 742/4 रकबा 5–12 बीघा व खसरा नम्बर 742/6 रकबा 1–01 बीघा कुल किता–2 कुल रकबा 6–13 किस्म बारानी दोयम का पर्सनल खातेदार भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक, हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वार ऐसा किया गया, तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को बार–बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 29/05/2016 को प्रतिवादी द्वारा वादी कम्पनी की भूमि पर कोई हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी वादी को उनकी भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रति0 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–राबड़ियावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मजमा–ए–आम में जानकारी प्रापत की गई। वादी कम्पनी अपनी आराजी का खातेदार काश्तकार हैं। प्रति0 वादी कम्पनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। लिहाजा वादी कम्पनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा– राबड़ियावास, पटवार हल्का–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 742/4 रकबा 5–12 बीघा एवं खसरा नम्बर 742/6 रकबा 1–01 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादी कम्पनी अपने हिस्से पर खातेदार काश्तकार हैं। वादी कम्पनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/07/2017 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–राबड़ियावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)